रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML–2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 9 अगस्त, 2005

संख्या वि0स0 विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–45–2005.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक

1847–राजपत्र/2005–9–8–2005––1,460. (2251) मूल्य: एक रुपया।

9 अगस्त, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव ।

2005 का विधेयक संख्यांक 16.

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 15) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह पांच जुलाई, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (दद) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

2005 का 15.

1994 का 12. 1924 का 2 1977 का 12

"(दद) "नगरीय क्षेत्र" से नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिका की परिसीमाओं के भीतर आने वाला कोई क्षेत्र या छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन स्थापित छावनी बोर्ड या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 67 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;"।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(3) जहां वृत्ति, व्यापार या आजीविका से किसी व्यक्ति की आय मासिक आधार से अन्यथा हो रही है वहां इस अधिनियम के अधीन कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रयोजन के लिए वर्ष के दौरान सकल आय मासिक आय के परिनिर्धारण के लिए बारह से विभाजित की जाएगी ।" ।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में, विद्यमान उपबन्धों को उप-धारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2) अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, किसी भी वर्ष के लिए या उसकी किसी भी तिमाही के लिए कर के अग्रिम संदाय के लिए विकल्प दे सकेगा और कर के ऐसे अग्रिम संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, वर्ष या तिमाही के प्रारम्भ के तीस दिन के भीतर वह वर्ष के लिए अग्रिम में संदत्त कर की रकम पर पन्द्रह प्रतिशत रिबेट और तिमाही के लिए अग्रिम में संदत्त कर की रकम पर दस प्रतिशत रिबेट के लिए हकदार होगा तथा कटौती और नियोजक द्वारा कर के संदाय और अन्य व्यक्तियों द्वारा कर के संदाय से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए लागू होंगे ।"।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

5. (1) हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 राज्य में 27 अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त हुआ । तथापि अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 की मद् संख्या 22 और 26 तथा अनुसूची-2 की मद् संख्या-5 के अनुसार कर केवल शहरी क्षेत्रों में ही उद्गृहीत किया गया था । तथापि यह पद "शहरी क्षेत्र" परिभाषित नहीं था । इसलिए उपबन्धों को स्पष्ट करने के लिए "शहरी क्षेत्र" परिभाषित करना अनिवार्य था । इसी प्रकार अनुसूची-1 की मद् संख्या 2, 3, 16 और 18 के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत, वृत्ति, व्यापार या आजीविका से कर "मासिक आय" के आधार पर प्रभार्य था, परन्तु इसमें आने वाले व्यक्तियों के प्रवर्गों में विधिक व्यवसायी, बीमा अभिकर्ता भी सम्मिलित थे जिनके मामलों में मासिक आय महीने में विनिर्दिष्ट स्तर से ऊपर या नीचे कम या अधिक हो सकती है और जिससे मासिक आय की संगणना करना कठिन हो सकता है । परिणामस्वरूप, जहां आय मासिक आधार से अन्यथा प्रोद्भूत हो रही है वहां वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आय को बारह से विभाजित करना अनिवार्य था ताकि कर के उद्ग्रहण और संदाय के प्रयोजन के लिए, मासिक आय निकाली जा सके । इसके अतिरिक्त कर के अग्रिम संदाय और इसके स्वेच्छा से अनुपालन को उत्साहित करने के आशय से किसी तिमाही के लिए अग्रिम में संदत्त कर पर दस प्रतिशत और किसी वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम में संदत्त कर पर पन्द्रह प्रतिशत की छूट प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध करवाना समुचित समझा गया ।

2. क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 में तुरन्त संशोधन करना अनिवार्य हो गया था इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6) 2 जुलाई, 2005 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे 5 जुलाई, 2005 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

3. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला:
तारीख ..... 2005.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(6)2/2005]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुर:स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4 के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर कर के अग्रिम संदाय हेतु दिए गए रिबेट के परिणामस्वरूप कुछ कमी होगी, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है परन्तु इससे कर का अग्रिम संग्रहण सुनिश्चित होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख : जुलाई, 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS (AMENDMENT) BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows: —

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of July, 2005.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after existing clause (r), the following clause (rr) shall be inserted, namely : — 15 of 2005

"(rr) "urban area" means any area falling within the limits of a municipality constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, or a Cantonment Board established under the Cantonment Act, 1924, or Special Area Development Authority constituted under section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977;". 12 of 1994 2 of 1924 12 of 1977

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Where the income of any person, from the profession, trade or calling, is accruing other than on monthly basis, the gross income during a

year shall be divided by twelve to arrive at the monthly income for the purpose of levy and collection of tax under this Act.".

4. In section 8 of the principal Act, the existing provisions shall be re-numbered as sub-section (1) and thereafter, the following sub-section (2) shall be inserted, namely:— Amendment of section 8.

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act, any person liable to pay tax under this Act may opt for advance payment of tax for any year or for any quarter thereof, and after such advance payment of tax within thirty days of the commencement of the year or the quarter, as the case may be, he shall be entitled to 15 percent rebate on the amount of tax paid in advance for the year and 10 percent rebate on the amount of tax paid in advance for the quarter, as the case may be, and the provisions of this Act relating to deduction and payment of tax by the employer and payment of tax by other persons shall apply accordingly for the purposes of this sub-section.".

5. In section 31 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "in consistent", the word "consistent" shall be substituted. Amendment of section 31.

6. (1) The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed. Repeal of Ordinance No. 6 of 2005 and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005, came into force in the State *w.e.f.* 27th April 2005. Although as per items 22 and 26 of Schedule-I and item No. 5 of Schedule-II appended to the Act, the tax was levied only in urban area. Yet this expression 'urban area' was not defined. As such, it was essential to define 'urban area' to impart clarity to the provisions. Similarly, in respect of the persons covered under items 2, 3, 16 and 18 of Schedule-I, the tax was chargeable on the basis of "monthly income" from profession, trade or calling, but in the categories of the persons covered also included legal practitioners, insurance agents in whose cases the monthly income may in a month fluctuate above or below the specified level and may render calculation of monthly income difficult. Consequently, where the income is accruing other than on monthly basis, it was essential to divide the gross income during a financial year by twelve to arrive at the monthly income for the purpose of the levy and payment of tax. Further, in order to encourage advance payment and voluntarily compliance of tax, it was considered appropriate to provide as incentive a rebate of ten percent of the tax payable for any quarter and fifteen percent of the tax paid in advance for any financial year.

2. Since the Legislative Assembly was not in session and amendment of the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Ordinance, 2005 (H.P. Ordinance No. 6 of 2005) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 2nd July, 2005, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 5th July, 2005. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

3. This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

Shimla:
The.....2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of clause 4 of the Bill when enacted will result in some reduction, by way of rebate for advance payment of tax, which cannot be quantified, but will ensure advance collection of tax.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

[File No. EXN-F(6)2/2005]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Bill, 2005, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS (AMENDMENT) BILL, 2005,

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005).

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

Shimla:

The.....2005.

नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री ,हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित